



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त
हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uaueexam@gmail.com

पत्रांक : 2423 / उ0आ0वि0 / 2018-19

दिनांक 22 नवम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 2368/उ0आ0वि0/परीक्षा/2018 दिनांक 19 नवम्बर 2018 का अवलोकन करना चाहें जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/निजी संस्थानों में आयोजित होने वाली दिनांक 01.12.2018 से बी0ए0एम0एस0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक की मुख्य/पूरक परीक्षाओं की समय-सारणी निर्गत की गई थी, उपरोक्त परीक्षाओं को स्थगित किये जाने हेतु आज दिनांक 22.11.2018 को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 11 आयुर्वेद निजी संस्थानों के सैकड़ों छात्र/छात्राओं द्वारा कुलसचिव कार्यालय में लिखित एवं मौखिक रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक उक्त परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई है।

भवदीय,

डॉ० राजेश कुमार
प्रभारी कुलसचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. नोडल अधिकारी, परीक्षा/गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परिसरो/निजी संस्थानों को इस अण्य से प्रेषित की उक्त सूचना के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं को अवगत कराना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाईल।

डॉ० राजेश कुमार
प्रभारी कुलसचिव।